रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022020-216182 CG-DL-E-15022020-216182

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] No. 96] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 14 फरवरी. 2020

सा.का.नि. 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 406 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निधि नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. निधि नियम, 2014 में, नियम 23क में, "छह माह" शब्दों के लिए "नौ माह" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/24/2013-सीएल-V (भाग-1)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात्, अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 467(अ), तारीख 01 जुलाई, 2019 और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 81(अ) तारीख 03 फरवरी. 2020 के माध्यम से संशोधित किए गए।

917 GI/2020 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2020

- **G.S.R. 114(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 406 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Nidhi Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Nidhi (Second Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Nidhi Rules, 2014, in rule 23A, for the words "six months" the words "nine months" shall be substituted.

[F. No. 1/24/2013-CL.V (Part-1)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 258(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 467(E), dated the 1st July, 2019 and *vide* notification number G.S.R. 81(E) dated the 3rd February, 2020.